संख्या- 896/1-10-15-33(39)/2015

प्रेषक,

डा0 अशोक कुमार वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक: 29 दिसम्बर, 2015

विषय: जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज में घाघरा नदी की कटान से विस्थापित हुये परिवारों को बसाये जाने हेतु ग्राम-परसा, परगना-हिसामपुर में क्षेत्रफल 0.967 हे0 भूमि क्रय हेतु रू0 5,70,139/- मात्र की धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1022/रा0का0-आपदा/धनराशि-मांग पत्र/15, दिनांक 18.09.2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज में घाघरा नदी की कटान से विस्थापित हुये परिवारों को बसाये जाने हेतु ग्राम-परसा, परगना-हिसामपुर में क्षेत्रफल 0.967 हे0 भूमि के नियमानुसार क्रय हेतु आवश्यक **कुल धनराशि रू0 5,70,139/- (रूपये पांच लाख सत्तर हजार एक सौ उन्तालिस मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।

3. तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार करते हुए भूमि का नि:शुल्क आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 2010/1-10-2012-33(37)/12-टी.सी.-1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 में उल्लिखित व्यवस्था/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या- 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

5. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय के आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

6. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-प्राकृतिक आपदायें-08-प्रदेश में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 अशोक कुमार वर्मा)
सचिव ।

संख्या- 896(1)/1-10-2015, तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा ।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट **एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन** पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी बहराइच।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।